Office of the: Chief Executive Officer (CEO)
Chhattisgarh State Skill Development Authority (CSSDA)
Nodal Department – Skill Development, Technical Education & Employment Deptt.

CSSDA Building, Old Police Head Quarter, Near Rajbhavan, Raipur (CG)–492006,

पत्र क्रमांक/रा.कौ.वि.प्रा./प्रशिक्षण/ 2382 रायपुर दिनांक 07/12/18

प्रति,

समस्त सहायक संचालक
जिला कौशल विकास प्राधिकरण

विषयः- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु टीबीएन जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

-- 00 --

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को आदेश पत्र (Work Order) जारी करने तथा प्रशिक्षण के आबंटन के पूर्व निम्न बिन्दुओं का पालन करते हुए उक्त प्रक्रियाओं के संबंध में जिला स्तर के विभागीय अधिकारियों (प्रायोजक विभाग) तथा पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

1. सामान्य जिलों के लिए वीटीपी ग्रेडिंग अंतर्गत पार्ट 'ए' में 45 से अधिक ग्रेडिंग प्राप्त वीटीपी एवं बस्तर संभाग के जिलों के लिए 35 से अधिक ग्रेंडिग प्राप्त वीटीपी के द्वारा प्रशिक्षण बैच बनाकर अग्रेषित करना।
2. पर्जीकृत वीटीपी में किसी कोर्स विशेष में अधिकतम 02 बैच के लिए ही टीबीएन हेतु अनुशंसा की जाये, बैच निर्माण के पूर्व ही यह सुनिश्चित किया जाये की उक्त वीटीपी में यथा समय उस कोर्स विशेष में कितने बैच संचालित हो रहे है।
3. निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप ब्लॉकवार, कोर्सवार प्रशिक्षण बैच का निर्माण कर टीबीएन हेतु अग्रेषित करना। यदि किसी विकासखंड में किसी कोर्स विशेष में प्रशिक्षण की आवश्यकता होने पर, वार्षिक कार्य-योजना में संशोधन हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् बैच का निर्माण कर टीबीएन हेतु अनुशंसा की करना।
4. किसी कोर्स विशेष में टीबीएन आवेदन करने के पूर्व आवेदित कोर्स के प्रशिक्षक की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की गई है अथवा यह सुनिश्चित करना।
5. ग्रेडिंग प्राप्त वीटीपी को पूर्व में प्रशिक्षित बैच के हितग्राहियों के नियोजन की स्थिति के आधार पर ही टीबीएन बैच हेतु अनुशंसा करना।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
छत्तीसगढ़

क्रमशः...2

पत्र क्रमांक/**रा.कौ.वि.प्रा./ प्रशिक्षण/** 2382A   रायपुर दिनांक 07.12.2018

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार को सादर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण, को सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त विभागाध्यक्षों (कौशल विकास से संबंधित) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के वेब-पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रति।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
छत्तीसगढ़